

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वित्तीय सहायता

3245. श्री लालजी भाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन योजनाओं अथवा अन्य परि-योजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिये इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसकी अनेक एजसियों द्वारा वित्तीय अथवा अन्य प्रकार का सहयोग दिया जा रहा है ; अथवा और

(ख) उसका व्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखदी जाएगी ।

Steps to Check Smuggling of Drugs on Indo-Nepal Border

3247. SHRI DRONAMRAJU SATYA-NARAYANA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) in view of the vulnerability of the Indo-Nepal border for drug trafficking, what steps Government are proposing to curb the smuggling effectively; and

(b) whether the said smuggling which is increasing day by day in volume has resulted in shooting up the number of addicts particularly in eastern region of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGRAWAL): (a) In order to curb smuggling on Indo-Nepal border, the preventive staff has been augmented and re-deployed more effectively. New preventive check-posts have been created and located near the border. Intelligence set-up has been suitably strengthened. In order to provide quick and secret means of communication, wireless network has been sanctioned for the entire border and is likely to be set up shortly. Besides,

the anti-smuggling measures including patrolling of vulnerable land routes and exercising greater vigilance along the border, have been reinforced.

(b) Although Indo-Nepal border continues to be vulnerable, reports received do not indicate any spurt in smuggling of Narcotic drugs resulting in increase of the number of addicts in the eastern region of the country.

स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा

3248. श्री छुबिराय अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सीधी भर्ती और पदोन्नतियों के माध्यम से आरक्षित कोटा भर लिया गया है ;

(ख) उक्त बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की श्रेणीवार प्रतिशतता क्या है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये विभागीय पदोन्नतियों में आरक्षण किया गया है और यदि हां, तो इन जातियों के उन कम चारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है जिन्हें पदोन्नत किया गया है ;

(घ) क्या इस बारे में परिपत्र जारी किये जाने के बावजूद विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण पदोन्नतियों के लिये आरक्षित कोटा नहीं भरा गया है और यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सीधी भर्ती और पदोन्नतियों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आर-

क्षित कोटा कब तक भरा जायेगा और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

बित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल): (क) से (ङ).सरकारी क्षेत्र के बैंक सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के वास्ते आरक्षित कोटे के सम्बन्ध में सरकारी हिदायतों का पालन कर रहे हैं तथापि, इन बैंकों ने सूचित किया है कि इन जातियों के उम्मीदवारों की आयु, अर्हताओं और अर्हता मानकों में रियायतें देने के बावजूद इन जातियों से उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण आरक्षित किए गए सारे पदों का कोटा भरा नहीं जा सका है। सरकार ने इन बैंकों को सलाह दी है कि इस कमी को दूर करने के लिए विशेष उपाय करें तथा सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली वर्तमान आरक्षित जगहें अविलम्ब भरी जाएं।

14 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप में नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या की 31-12-76 की स्थिति को श्रेणीवार विवरण में दिया गया है जो सभा पटल पर रखा गया है। [घन्थास्य में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1309/77]।

जहां तक पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए आरक्षण का संबंध है सरकारी क्षेत्र के बैंक सरकार की आरक्षण की स्कीम का अभी तक पालन करने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि बैंकों में क्लर्कों से अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नतियां कर्मचारी संघों और सम्बद्ध बैंकों के बीच विभिन्न करारों/मतैक्य पर आधारित होती है। तथापि पदोन्नति के पदों में आरक्षण की स्कीम लागू होने तक बैंकों को सला दी गई है कि वे लिखित परीक्षा

और साक्षात्कार के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार, दोनों में, अर्हता-नम्बरों में 5 प्रतिशत की छूट दें।

Written Test for Store-Holders' Posts

3249. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in a recent written test for store-holders' posts 14 apprentices had qualified and only two of them have been given the jobs; and

(b) if so, the reasons for not giving jobs to all the 14 qualified apprentices?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK): (a) and (b). Only Indian Airlines have the posts of Store-holder. In the selection for these posts in Indian Airlines 36 apprentices had applied along with other candidates. Of these, only 13 qualified in the aptitude test out of which 12 turned up for the interview. Seven of these persons were found suitable by the Selection Board. They were offered appointment. One of the persons offered appointment was, however, found medically unfit.

STC/MMTC extended help for the Cause of Family Planning during Emergency

3250. CHOWDHRY BALBIR SINGH: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether during the Emergency STC, MMTC and their subsidiaries extended their help for the cause of the family planning by giving advertisement etc.;

(b) whether STC Management has given one imported car of the value